FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

…ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

आशा देवी बनाम ग्राम पंचायत अजीतगढ़

…म मुकदमा अपील नं. 35 सन् 2019

…रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08.2019	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में वकील अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील अपीलान्ट एक पक्षीय सुनीं गई। प्रकरण में अपीलान्ट ने उपस्थित होकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 304 रकबा 0.91 हैक्टर तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर के हिस्सा 29/91 भाग के काबिज खातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ़ थे। जिनसे अपीलान्ट ने उक्त जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2018 को खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तब से अपीलान्ट इस भूमि पर बैहिसयत खातेदार मौके पर काबिज काश्त चली आ रही है। अपीलान्ट ने अपनी इस खरीदशुदा जमीन की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु रेस्पोडेन्ट सं. 1 के यहाँ विक्रय पत्र के साथ आवेदन किया। जिस पर रेस्पेडेन्ट न. 1 ने पूर्णतया गलत व अवैध रूप से मनमानी कार्यवाही करते हुए पटवारी हल्का द्वारा भरा गया नामान्तकरण संख्या 2463 दिनांक 06.02.2019 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 17 के द्वारा अस्वीकार करके निरस्त कर दिया। जिसका रेस्पोडेन्ट सं. 1 को कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने इस नामान्तकरण को अस्वीकार करने का अपने निर्णय में कोई कारण या आधार अंकित नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने विधि के प्रावधानों के प्रचलित सिद्धान्तों की पूर्णतया अनदेखी करके [illegible] आदेश पारित करके नामान्तकरण अस्वीकार करने [illegible] भूल की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ग्राम [illegible] अजीतगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.[illegible].2019	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.30 11:22:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

आशा देवी बनाम ग्राम पंचायत अजीतगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	अपील 25-1.35/2019
	बाबत नामान्तकरण संख्या 2463 दिनांक 22.01.2019 अपास्त किया जाकर नामान्तकरण स्वीकार किये जाने हेतु अपील नामान्तरकरण पेश की गई है। हमने अपील अपीलांण्ट एंव अपील पर उपलब्ध दस्तावेजात् विक्रय लेख दिनांक 24.12.2018, जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, नामान्तकरण संख्या 2463, पंचायत बैठक प्रस्ताव इत्यादि का अवलोकन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध हाजिर अदालत नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। साक्ष्य अपील में अपीलान्ट आशा देवी व साक्ष्य गवाह में आशीष व हरिनारायण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये है। ग्राम पंचायत अजीतगढ़ ने मिटिंग दिनांक 06.02.2019 रेस्पोडेन्टस सं. 1 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 2463 पर **पत्रावली संख्या 24 विविध द्वारा उज्रदार अनिता पत्नि ज्योतिप्रकाश शर्मा निवासी अजीतगढ़ की उज्रदारी खारिज न करते हुए प्रस्ताव संख्या 17 दिनांक 06.02.2019 को नामान्तकरण अस्वीकार किया गया है।** ग्राम पचांयत अजीतगढ़ द्वारा पंचायत बैठक प्रस्ताव संख्या 17 में भी नामान्तकरण के सम्बन्ध में कोई विस्तृत विवरण अंकित नहीं किया जाकर नामान्तकरण अस्वीकार किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत अजीतगढ़ को बिना किसी ठोस आधारों के इस प्रकार से नामान्तकरण खारीज करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत अजीतगढ़ की बैठक दिनांक 06.02:2019 के प्रस्ताव संख्या 17 में नामान्तकरण संख्या 2463 के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा ... नामान्तकरण संख्या 2463 ... आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.30 11:22:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	आशा देवी बनाम ग्राम पंचायत अजीतगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज अपील स्व.न. -35/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दिनांक 06.02.2019 को विधिसम्मत नहीं पाये जाने पर अपास्त किया जानां उचित समझता हूँ। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत अजीतगढ़ प्रंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 2463 पर पारित आदेश दिनांक 06.02.2019 को अपास्त कियां जाता है तथा अपील अपीलान्टस तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपना निर्णय पारित करें। पत्रावली इस न्यायालय से फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। यह निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.30 11:22:35 IST
Reason: SelfAttested